जीवनांक शाखा

दिनांक 07.10.2012 को आहूत राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:—

सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक जीवनांक—सह—मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित माह अगस्त 2012 तक के लक्ष्य के विरूद्ध निदेशालय में प्राप्त सांख्यिकीय भागों के आधार पर जिलावार प्रगति की समीक्षा की गई। जन्म की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में पश्चिम चम्पारण प्रथम, शेखपुरा द्वितीय एवं मुंगेर तृत्तीय स्थान पर रहा। मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में पटना प्रथम, बक्सर द्वितीय एवं भागलपुर तृतीय स्थान पर रहा। समीक्षा के क्रम में लगातार पश्चिम चम्पारण के प्रथम रहने उन्हे धन्यवाद दिया गया। बैठक में सुझाव आया कि Low Performance जिला यथा अररिया, बेगूसराय, मधेपुरा, बॉका, अरवल, सुपौल के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संबंधित उप निदेशक (सांख्यिकी) प्रमण्डल के बारे में उच्च पदाधिकारी को सूचित किया जाय।

(अनुपालनः— सामान्य जीवनांक शाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

2. ऑगनबाड़ी सेविका—सह—उप रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के प्रशिक्षण के बारे में बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा की गई जिज्ञासा के आलोक में वरीय परामर्शीगण ने प्रशिक्षण कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण सामग्री वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होनें बताया की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) से सम्पर्क कर शहरी क्षेत्र की ऑगनबाड़ी सेविका को सूचिबद्ध करना होगा, क्योंकी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ऑगनबाड़ी सेविका ही उप रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) अधिसूचित है। इस क्रम में ऑगनबाड़ी सेविकाओं को निर्धारित मानदेय भुगतान भी चालू माह के अगले माह में सांख्यिकीय भाग प्राप्त कर किया जाना है। भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सेविका ने सांख्यिकीय भागों में संदर्भित कंडिकाओं को भलीभॉति निदेशानुसार भर लिया है एवं इकाई कोड आदि अंकित कर दिया है। इस आलोक में बैठक में सर्वसम्मति से सुझाव आया कि प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा मानदेय वितरण हेतु विभागीय एकाउन्ट खोलने पर विभागीय प्रधान सचिव से सहमति प्राप्त कर ली जाए। मुख्य रजिस्ट्रार ने निदेशालय स्तर से ऑगनबाड़ी सेविका—सह—उप रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से संबंधित अधिसूचना एवं कार्यादेश के शत—प्रतिशत उठाव नहीं किए जाने पर संबंधित जिला लखीसराय, गया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, पूर्णियॉ एवं खगड़िया के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करें। इस निमित्त जीवनांक कार्यों का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण, प्रपत्रों का उठाव एवं वितरण तथा विधिक भागों के Binding कार्य हेतु निदेशालय के पत्रांक 41 दिनांक 21.09.2012 द्वारा आवंटन भी दिया गया है। इसके आलोक में निदेश है कि उक्त निधि का जीवनांक कार्यो में उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को लभ्य करायी जाए। उक्त आवंटन में नगर निगम क्षेत्राधीन निबधित घाटों (शव दाह गृह) में फर्निचर की आपूर्ति हेतु प्रावधान है। इस कार्य को भी प्राथमिकता के

आधार पर किया जाना है ताकि मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में गति लाई जा सके। इसके अतिरिक्त बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2011 (ज्ञापांक 1866 दिनांक 21.09.2012) जो सभी जिलों को प्रेषित है, के शत–प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जिला से भेजे गए पॉवर प्रजेन्टेशन में एकरूपता हो, इस निमित्त सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रेषित ज्ञापांक 1529 दिनांक 04.09.2012 के अनुरूप पॉवर प्रजेन्टेशन भेजने हेतु निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी कैमूर द्वारा ऑकड़ों में भिन्नता की बात कही। इस आलोक में निदेश दिया गया कि यह ऑकड़ा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के वेबसाइट पर दिनांक 19.09.2012 को अपलोड किया गया है, उससे मिलान कर निदेशालय को सूचित किया जाय। इसके साथ जिला में लम्बित जीवनांक संबंधित अन्य प्रतिवेदनों को यथाशीघ्र निदेशालय भेजने हेतु निदेश उपस्थित प्रतिभागियों को दिया गया।

(अनुपालनः— सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

10.10.2012

संयुक्त निदेशक
—सह—
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)।

ज्ञापांक 1805 /पटना, दिनांक– 10/10/12

3987

प्रतिलिपिः— 1. वरीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी उप निदेशक (सां०) प्रमण्डल /उप निदेशक (जीवनांक)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी /सहायक निदेशक (जीवनांक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई०टी०मैनेजर, (कम्प्यूटर कोषांग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विषयांकित कार्यवाही को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करें।

10.10.2012

संयुक्त निदेशक
—सह—
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)

89 urmila 09 10.12